रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 1982/वैशाख 1, 1904
No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 1982/BAISAKHA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1982

का. आ. 277(अ) :—केन्द्रीय सरकार को, मैसर्स हिन्दुस्तान टी कम्पनी 205, रविन्द्र सरणी, कलकत्ता-700007 के स्वामित्वाधीन कच्छार जिला, असम में स्थित, म्बोंग टी एस्टेट, डाकघर दुधत और हतिचेरा टी एस्टेट, डाकघर उद-बुन्द नामक दोनों चाय एककों की बबत यह राय है कि :—

(1) 1977—1981 के पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष चाय एककों की औसत उपज जिले की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक से कम रही है ;

(2) चाय एककों के स्वामियों ने कर्मकारों और अन्य कर्मचारियों की मजदूरी और भविष्य निधि देयों तथा ऐसे अन्य देयों का, जिनका संदाय करने के लिए वे तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन बाध्य हैं, संदाय करने में बारम्बार व्यतिक्रम किया है ;

(3) चाय एककों का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है, जो चाय उद्योग और लोकहित के लिए बहुत अहितकर है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एककों के मामलों का पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे —:

(1) चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड कलकत्ता ।

(2) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड, कलकत्ता ।

(3) सचिव, असम सरकार, उद्योग विभाग, गोहाटी, असम ।

(4) संयुक्त सलाहकार (वित्त), लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर भवन, नई दिल्ली ।

(5) संयुक्त निदेशक (लेखा), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता ।

व्यक्तियों का उक्त निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. बी.-12012 (3)/79-प्लांट (ए)]

एस. गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 21st April, 1982

S.O. 277(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea units known as Subong Tea Estate, P. O. Dulu and Hatticherra Tea Estate, P. O. Udarbund, both situated in the Cacher District, Assam and owned by M/s. Hindustan Tea Co., 205, Rabindra Sarani, Calcutta-700007, that :

(i) the avergae yield of the tea units for at least three of the five years 1977—81 has been lower than the district average yield by twenty-fie per cent or more ;

(ii) the persons owning the tea units have habitually made default in the payment of wages and provident fund dues of workers and other employees and such other dues as they are under an obligation to pay under the laws for the time being in force, and

(iii) the tea units are being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea units, a body of persons consisting of :

(i) Director of Tea Development, Tea Board, Calcutta ;

(ii) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, tea Board, Calcutta ;

(iii) Secretary to the Government of Assam, Industries Department, Gauhati, Assam ;

(iv) Joint Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan, New Delhi ;

(v) Joint Director (Accounts), Office of the Regional Director Company Law Board, Calcutta.

2. The said body of persons shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[File No. B-12012(3)/79-Plant A]

S. GOPALAN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-1100(
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982